न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 12 / 654

1. जयपाल राय आत्मज राम बल्लभ जाति मीणा निवासी चार तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. राजपत राय आत्मज रा बल्लभ जाति मीणा निवासी चार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड नाथद्वारा जिला राजसमन्द जरिये मुख्य निष्पादन अधिकारी टेम्पल बोर्ड ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

निर्णय

दिनांकः 13.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र वास्ते कायम करने रिसीवर ग्राम चार तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी कुल 83 बीघा 16 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया और कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी मूर्ति माफी की भूमि है माफी रिज्यूम होने के पश्चात् मूर्ति ही माफी वाली भूमि की खातेदार कृषक होती है । मूर्ति सदैव नाबालिग है और उक्त भूमि पर काश्त करने वाले व्यक्ति को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी पर मूल वाद के निस्तारण तक रिसीवर कायम करने का आदेश पारित किया जावे ।

न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.12.2012 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार हुए वाद वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी को 500/– रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से न्धित तहसील में नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा काश्त बनाये रखने अनुमति प्रदान की ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2012 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को कभी भी काश्त पर नहीं दी बल्कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर पीढी दर पीढी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि कभी भी मंदिर की भूमि नहीं रही है । इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.04.1992 को रेस्टोरेशन अपील/एलआर/1/91 कोटा रामबल्लभ बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय में उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता रामबल्लभ जी को सही रूप से खातेदार घोषित होना माना है । रामबल्लभ जी के पक्ष में खोला गया इंतकाल नं0 14 दिनांक 14.05.59 को सही माना है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । उक्त भूमि से अभी तक अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है और न ही अपीलान्ट उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपुर द्वारा अपने परिपत्र कमांकः प. 2 (4)राज/4/90/37 दिनांक 13.12.91 व परिपत्र कमांक प. 3 (2)राज–6/2007/14/दिनांक 24.05.2007 तथा परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/07/19 दिनांक 25.11.2011 से मंदिर व जागीर की भूमियों के सम्बन्ध में काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं तथा उक्त भूमि मंदिर के खाते से हटाये जाने का आदेश पारित किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि मंदिर मूर्ति की भूमि है जिस मूर्ति मंदिर सदैव नाबालिग है और उसके हितों की रक्षा करने का दायित्व न्यायालयों को है । मूर्ति मंदिर जो सदैव नाबालिक है वह अपनी भूमि पर किसी भी व्यक्ति से काश्त करवा सकते हैं । काश्त करने वाले व्यक्ति को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का जो आदेश पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2012

जा जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आर.आर.टी. 2004 (2) पेज 780 का दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है जिसे स्पोडेन्ट ने भी स्वीकार किया है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.04.1992 को रेस्टोरेशन अपील/एलआर/1/91 कोटा रामबल्लभ बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय में उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता रामबल्लभ जी को खातेदार घोषित होना माना है । रामबल्लभ जी के पक्ष में खोला गया इंतकाल नं0 14 दिनांक 14.05.59 को सही माना है जिससे भी साबित है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है क्योंकि उक्त भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट काबिज है और रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि को अपीलान्ट खुर्द–बुर्द कर सकता हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह एक कठोरतम कार्यवाही है । रिसीवर कायम करने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि यदि किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर कब्जा हो तो उसे रिसीवर की आड में कब्जे से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और रिसीवर कायमी की कार्यवाही एक कठोरतम कार्यवाही है जिसे आसानी से लागू नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी रिसीवर की नियुक्ति के प्रार्थाना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपूर्णीय क्षति की संभावना किसे होगी । चूँकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है और प्रथमदृष्टया प्रकरण उसी के पक्ष में होना साबित है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2012 निरस्त किया जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा